भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 378
उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान

378. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता के लिए एक नए अत्याधुनिक भवन (बेसमेंट + ग्राउंड + 6 मंजिल) के निर्माण के लिए अनुमोदन रोक दिया है और यदि हां, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंत्रालय को एनआईएलडी, कोलकाता में पुराने और बाढ़ संभावित बुनियादी ढांचे और इससे कर्मचारियों और रोगियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है और यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने गतिशील दिव्यांगजनों के लिए अपनी नैदानिक और उपचार क्षमताओं को बढ़ाने हेतु एनआईएलडी, कोलकाता के लिए एमआरआई मशीन की खरीद के लिए धन आवंटित करने पर विचार किया है और यदि हां, तो इसकी खरीद और स्थापना के लिए अनुमानित समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय का संस्थान के मूल नाम को पुन: "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी" करने का विचार है जिसकी मांग पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): जी नहीं। राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में नए भवन के निर्माण के प्रस्ताव को, सार्वजनिक वित्त पोषित योजनाओं/परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन पर, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया जाता है।

(ख): विभाग एनआईएलडी में बुनियादी अवसंरचना से जुड़ी चुनौतियों से परिचित है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस संस्थान से प्राप्त प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है, तथा ध्यान में लाये गए किसी भी गंभीर मामले का समाधान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ग): इस संबंध में इस संस्थान से कोई विधिवत अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): इस मुद्दे की जांच की जा रही है।

*****